



एक मंच - एक लक्ष्य
सशक्त युवा - सशक्त राष्ट्र

मंच संदेश

वर्ष 34, अंक 219, पृष्ठ 08, 19-20 अक्टूबर 2026

Web Site: www.aimym.org | Email: info@aimym.org

मंच दर्शन - मंच आधार : जनसेवा | मंच भाव : समाज सुधार | मंच शक्ति : व्यक्ति विकास | मंच चाह : सामाजिक सम्मान एवं आत्मसुरक्षा | मंच लक्ष्य : राष्ट्रीय विकास एवं एकता

R.N.I REGN. No. : 61416/1994 | POSTAL REGN. : DL (DG-11)/8052/2024-2026 | LICENSED TO POST WITHOUT PRE PAYMENT U (DN) 165/2024-2026

POSTED AT : DELHI RMS. DELHI-6 | PUBLICATION DATE : 02-03 & 17-18 | POSTING DATE : 04-05 & 19-20 FORT NIGHTLY

सुरेन्द्र भट्ट
चुनाव अधिकारी

C/o गजेन्द्र इंटरप्राइजिज
चिल्डरन हॉस्पिटल के सामने, अंबेडकर सर्कल,
बीकानेर - 334001 (राजस्थान)
मोबाइल : 9799333311
Email : sbhattar3311@gmail.com

॥ चुनाव अधिसूचना ॥

दिनांक : 11 अक्टूबर 2026

सेवा में,
समस्त शाखाध्यक्ष, शाखा मंत्री एवं राष्ट्रीय सभा सदस्य
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच

विषय : रांची अधिवेशन में दिनांक 17 दिसम्बर, 2026 को होने जा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के चुनाव।

प्रिय बन्धुवर,
जैसा कि आपको विदित ही है अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की 46वीं राष्ट्रीय सभा 17 दिसम्बर तथा 16वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन 17, 18, 19 एवं 20 दिसम्बर, 2026 को मारवाड़ी युवा मंच, रांची शाखा के आतिथ्य में होने जा रहा है। मंच के संविधानुकूल अगले सत्र के 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' एवं क्षेत्रीय 'राष्ट्रीय उपाध्यक्षों' (प्रत्येक क्षेत्र से एक) का चुनाव इस अधिवेशन में होना है। चुनाव नियमों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'क' में दी जा रही है, जिसके कुछ अंश संविधान में उद्धृत हैं। शाखाओं द्वारा भेजे जाने वाले राष्ट्रीय सभा सदस्यों की सूची के लिए परिशिष्ट-'ख' एवं नामांकन पत्र परिशिष्ट-'ग' व 'घ' के रूप में यहां संलग्न किये जा रहे हैं। चुनाव नियमों के अंतर्गत आवश्यक शर्तों की पूर्ति होने पर ही नामांकन पत्र वैध होगा। अतः नामांकन प्रस्ताव पारित करने के पूर्व यह अवश्य देखें कि प्रस्तावित उम्मीदवार व आपकी शाखा इन शर्तों की पूर्ति कर रही हो।

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदों के लिए नामांकन पत्र प्रस्तावित या अनुमोदन करने का अधिकार मंच की समस्त तथा/अथवा सम्बंधित शाखाओं को है। अतः इस कार्य हेतु शाखा की कार्यकारिणी समिति की सभा में प्रस्ताव पारित कर शाखाध्यक्ष के हस्ताक्षर से युक्त नामांकन पत्र भिजवाना होगा।

दिनांक 16 नवम्बर, 2026 तक मेरे कार्यालय में प्राप्त नामांकन पत्र ही वैध समझे जायेंगे। नामांकन पत्रों को अपने शहर से कोरियर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा चुनाव अधिकारी के नाम मेरे पते पर विशेष रूप से अंकित एवं मोहर बंद लिफाफे में भेजें। यह सुनिश्चित करें कि नामांकन पत्र 16 नवम्बर, 2026 तक मेरे कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाए।

सधन्यवाद
भवदीय

सुरेन्द्र भट्ट
चुनाव अधिकारी

परिशिष्ट – क

01) धारा 2 (ऊ) क्षेत्र : क्षेत्र की दृष्टि से मंच को देशान्तरगत 5 क्षेत्र I, II, III, IV, V में विभाजित किया गया है।

क्षेत्र I : असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान द्वीप समूह।

क्षेत्र II : बिहार एवं झारखण्ड।

क्षेत्र III : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ एवं हरियाणा।

क्षेत्र IV : ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश।

क्षेत्र V : गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप समूह, गोवा एवं दमन दीव।

02) निर्वाचक मण्डल : (धारा-21)

(अ) राष्ट्रीय सभा की अधिवेशन से पूर्व होने वाली बैठक के ठीक 45 दिन पहले राष्ट्रीय सभा में सभी शाखा प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय), सभी प्रान्तीय अध्यक्ष एवं सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को मिलाकर एक निर्वाचक मण्डल का स्वतः गठन होगा। यह मण्डल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा। (21 (उ)) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय) के निर्वाचन में मतदान का अधिकार केवल सम्बंधित क्षेत्र के निर्वाचकगण को ही होगा। निर्वाचक मण्डल का गठन, चुनाव/राष्ट्रीय सभा बैठक से 45 दिनों पहले तैयार की गयी सूची के आधार पर होगा। शाखाओं को उक्त सूची में त्रुटि सुधार हेतु पर्याप्त समय दिया जायेगा एवं चुनाव के 30 दिन पूर्व अन्तिम सूची का प्रकाशन अनिवार्य होगा। यह सूची मंच की अधिकृत वेबसाइट/मंच संदेश/अन्य ऑनलाइन माध्यमों से प्रकाशित की जायेगी। चुनाव वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस के बाद गठित शाखाओं के प्रतिनिधियों के नाम निर्वाचक मण्डल में शामिल नहीं होंगे।

(क) जिन शाखाओं द्वारा चुनाव के 45 दिन पहले तक अपने प्रतिनिधि को राष्ट्रीय सभा/निर्वाचक मण्डल में नहीं भेजा गया तो शाखा का प्रतिनिधि भेजने का अधिकार स्वतः समाप्त समझा जायेगा एवं यदि शाखाध्यक्ष या शाखा मंत्री में से भी एक को पदेन सदस्य बतौर यदि उक्त 45 दिन की समय सीमा के पूर्व मनोनीत नहीं किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (राष्ट्रीय कार्यालय) को अधिकार होगा कि जिन शाखाओं के सम्बन्धित सत्र के चुनाव सम्पादित हो चुके तथा जिसकी सूचना राष्ट्रीय कार्यालय में प्राप्त है, उसके शाखा अध्यक्ष या शाखा मंत्री में से कोई एक का मनोनयन निर्वाचन मण्डल में कर सकेंगे। अन्य सदस्यों के नाम न प्राप्त होने पर पहले से प्राप्त सदस्य निर्वाचन मण्डल के सदस्य रहेंगे, बशर्ते वे निर्वाचन के समय मंच के सदस्य हों तथा जिस सत्र के लिए निर्वाचन हो रहा है, उस सत्र में उसकी उम्र 45 वर्ष नहीं हुई हो (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त)। शाखा के सदस्य संख्या में हुई कमी के चलते यदि मनोनीत हो सकने वाले सदस्यों की संख्या में कमी होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (राष्ट्रीय कार्यालय) स्वविवेक से जरूरत अनुसार अतिरिक्त मनोनीत सदस्य को सूची से हटा देंगे।

- (ख) जिस सत्र के लिए निर्वाचन हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस के पूर्व जिस निर्वाचक मण्डल के सदस्य की उम्र 45 वर्ष नहीं हो रही हो, वही निर्वाचक मण्डल का सदस्य रहेगा। वर्तमान, निवर्तमान व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों पर यह धारा लागू नहीं होगी तथा वे आजीवन निर्वाचन मण्डल के सदस्य बने रहेंगे।
- (आ) चुनाव के 45 दिन पहले जो प्रतिनिधि शाखाओं द्वारा राष्ट्रीय सभा को भेजे गये हैं तथा अप्राप्त शाखाओं के प्रतिनिधित्व पर धारा 21(अ)(क) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (राष्ट्रीय कार्यालय) के द्वारा मनोनीत किये गये प्रतिनिधि को निर्वाचन मण्डल का स्वतः गठन होगा। चुनाव के 45 दिन या कम समय रहने पर शाखा द्वारा निर्वाचन मण्डल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जिन शाखाओं का गठन जिस वर्ष चुनाव हो रहा है, उस वित्तीय वर्ष के पूर्व हो चुका है, उन शाखाओं के प्रतिनिधि ही निर्वाचक मण्डल के सदस्य होंगे।
- (इ) निर्वाचक मण्डल के जो सदस्य चुनाव स्थल पर उपस्थित होंगे, वे ही मतदान में भाग ले सकते हैं।
- (ई) राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सम्पूर्ण निर्वाचक मण्डल सम्मिलित होगा।
- (उ) धारा 19 (अ) न) के अनुसार ऐसी शाखाओं के सदस्य, जिस दिन शाखा का राष्ट्रीय शुल्क माफ किया गया है, उस दिवस से अगले 365 दिनों तक होने वाले प्रांतीय अथवा राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रिया में वे भाग नहीं ले सकेंगे।

03) उम्मीदवारों की योग्यता (धारा-22)

(1) राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु निम्न योग्यतायें जरूरी हैं :-

- (क) : उम्मीदवार कम से कम 7 वर्षों से लगातार मंच का साधारण सदस्य रहा हो।
- (ख) : जिस सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष या अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिये।
- (ग) : उम्मीदवार कम से कम 12 महीने मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री या प्रांतीय अध्यक्ष रहा हो।
- (घ) : उम्मीदवार के नाम पर मंच का किसी भी प्रकार (शाखा शुल्क सहित) का बकाया नहीं होना चाहिये।
- (ङ) : उम्मीदवार की गृह शाखा पर प्रांतीय अथवा राष्ट्रीय कार्यालय का किसी प्रकार का बकाया नहीं रहना चाहिये।
- (च) : किन्हीं कारणवश अगर नामांकन पत्र दाखिल होने के अन्तिम समय तक कोई भी वैध नामांकन पत्र प्राप्त न हुआ हो तो, राष्ट्रीय सभा उपरोक्त वर्णित योग्यताओं में उस चुनाव हेतु अस्थायी परिवर्तन कर सकती है।

(2) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय) पद के प्रत्याशी हेतु निम्न योग्यतायें जरूरी हैं :-

- (क) : उम्मीदवार कम से कम 5 वर्षों से लगातार मंच का साधारण सदस्य रहा हो।
- (ख) : जिस सत्र के लिए चुनाव हो रहा है, उस सत्र के प्रथम दिवस को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष या अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।

- (ग) : उम्मीदवार कम से कम 12 महीने के लिये राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, प्रान्तीय उपाध्यक्ष या प्रान्तीय महामंत्री रहा हो।
- (घ) : उम्मीदवार के नाम पर मंच का किसी भी प्रकार (शाखा शुल्क सहित) का बकाया नहीं रहना चाहिए।
- (ङ) : उम्मीदवार की गृह शाखा पर प्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय कार्यालय का किसी प्रकार का बकाया नहीं रहना चाहिए।
- (च) : किन्हीं कारणवश अगर नामांकन पत्र दाखिल होने के अन्तिम समय तक कोई भी वैध नामांकन पत्र प्राप्त न हुआ हो तो, राष्ट्रीय सभा उपरोक्त वर्णित योग्यताओं में उस चुनाव हेतु अस्थायी परिवर्तन कर सकती है।

04) चुनाव प्रणाली : (धारा-23) :

- (अ) राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार के समर्थन में दो प्रान्तों से कम से कम दस शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र (मूल प्रति) चुनाव अधिकारी को प्राप्त होने चाहिये तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार के समर्थन में संबंधित क्षेत्र की कम से कम पांच शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र (मूल प्रति) चुनाव अधिकारी को प्राप्त होने चाहिये। इस अधिकार का प्रयोग शाखा विशेष की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हो सकेगा। ऐसे पारित प्रस्ताव को उस शाखा विशेष के अध्यक्ष द्वारा चुनाव अधिकारी को भेजा जायेगा, जो उसे चुनाव तिथि के कम से कम 30 दिन पूर्व मिलना चाहिये। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की सहमति में उसके हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, परन्तु मतदान की अवस्था में या निर्विरोध घोषित करने से पूर्व चुनाव अधिकारी को उम्मीदवार की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा असहमति व्यक्त करने पर ऐसे नामांकन पत्र रद्द समझे जायेंगे।
- (आ) प्रस्तावित उम्मीदवार चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में अपना नामांकन पत्र वापस लेने में सक्षम होंगे।
- (इ) किन्हीं कारणवश किसी पद के लिये निर्धारित अवधि में यदि एक भी वैध नामांकन पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो चुनाव स्थल पर ही राष्ट्रीय सभा के सदस्य उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित और समर्थन करने के अधिकारी होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिये राष्ट्रीय सभा में संबंधित क्षेत्र के सदस्य इस हेतु समर्थन करने के अधिकारी होंगे।
- (ई) संविधान में अवर्णित परिस्थितियों में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

05) चुनाव सम्बंधी विशेष दिशा-निर्देश :

01. नामांकन पत्र संलग्न प्रारूप में होने आवश्यक है।
02. नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार का सहमति पत्र आवश्यक नहीं है। उम्मीदवार का सहमति पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2026 तक चुनाव अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रस्तावित उम्मीदवार द्वारा सहमति पत्र के साथ अपनी आयु के संदर्भ में प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा। उसके लिये जन्म प्रमाण-पत्र के रूप में निम्नलिखित में से दो साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे :-
क) जन्म प्रमाण-पत्र (ग्राम पंचायत/नगर निगम/सम्बंधित सरकारी कार्यालय) द्वारा प्रदत्त।

ख) माध्यमिक परीक्षा के अवसर पर बोर्ड द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र (Admit Card) या बोर्ड द्वारा जारी उत्तीर्ण Certificate जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।

ग) पास-पोर्ट/पेन कार्ड/आधार कार्ड।

03. नामांकन पत्र पर शाखाध्यक्ष ही हस्ताक्षर करने को अधिकृत है, जो शाखा की कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकन प्रस्ताव पारित करने के प्रमाण का रूप है। यदि शाखा कार्यकारिणी समिति चाहे तो शाखाध्यक्ष की संभावित अनुपस्थिति में नामांकन पत्र हस्ताक्षर करने हेतु शाखा के किसी उपाध्यक्ष को भी अधिकृत कर सकती है।
04. दिनांक 16 नवम्बर, 2026 तक चुनाव अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नामांकन पत्र ही वैध समझे जायेंगे।
05. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्राप्त नामांकन पत्र तभी वैध माना जायेगा जबकि नामांकन पत्र (मूल प्रति) में प्रस्तावित उम्मीदवार के पक्ष में दो प्रान्तों से कम से कम 10 शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय) के चुनाव के लिये प्राप्त नामांकन पत्र तभी वैध माना जायेगा जबकि नामांकन पत्र (मूल प्रति) में प्रस्तावित उम्मीदवार के पक्ष में संबंधित क्षेत्र से कम से कम पांच शाखाओं एवं उसकी गृह शाखा द्वारा प्रेषित नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को प्राप्त होते हैं।
06. राष्ट्र, प्रान्त एवं सम्बंधित गृह शाखा से उम्मीदवार का कोई भी बकाया नहीं रहना चाहिए। यदि कोई बकाया हो तो उसका भुगतान 22 नवम्बर, 2026 तक हो जाना चाहिए।
07. किसी भी उम्मीदवार की गृह/प्रस्तावक/समर्थक शाखा के नाम पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय या प्रान्तीय कोषाध्यक्ष से किसी भी उम्मीदवार की गृह/प्रस्तावक/समर्थक शाखा की बकाया राशि की प्रमाणिक सूचना प्राप्त होने पर उस शाखा द्वारा भेजा गया नामांकन पत्र वैध नहीं माना जायेगा।
08. राष्ट्रीय या प्रान्तीय कोषाध्यक्ष को राष्ट्रीय शुल्क के अतिरिक्त जो बकाया राशि है, उसकी प्रारम्भिक सूची दिनांक 25 अक्टूबर, 2026 तक तथा अन्तिम सूची दिनांक 14 नवम्बर, 2026 तक चुनाव अधिकारी को देनी आवश्यक होगी। उक्त पदाधिकारी द्वारा इन मदों में जिनका बकाया है, उन्हें दिनांक 2 नवम्बर, 2026 के पहले पत्र लिखकर भुगतान करने को कहना आवश्यक है।
09. उम्मीदवार से निर्धारित समय पर सहमति पत्र (चुनाव अधिकारी कार्यालय में हस्ताक्षरित कापी) प्राप्त न होने पर नामांकन पत्र अवैध समझे जायेंगे।
10. नामांकन पत्र वापिस लेने का अधिकार प्रस्तावित उम्मीदवार को होगा, ना कि प्रस्तावक/समर्थक शाखा को। प्रस्तावित उम्मीदवार का इस आशय का पत्र चुनाव अधिकारी के कार्यालय में 30 नवम्बर, 2026 तक पहुँच जाना चाहिए।
11. दिनांक 2 नवम्बर, 2026 तक जो प्रतिनिधि शाखाओं के द्वारा राष्ट्रीय सभा में भेजे गये हैं, वे ही निर्वाचक मण्डल के सदस्य होंगे।
12. जिन शाखाओं का गठन दिनांक 31 मार्च, 2026 तक हो चुका है उनके प्रतिनिधि निर्वाचन मण्डल के सदस्य हो सकेंगे तथा वह शाखा व उसके प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यानि 1 अप्रैल, 2026 या उसके बाद गठित शाखाएँ इस बार हो रही चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी।
13. शाखाओं को 15वीं कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक एवं 45वीं राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित निर्णयानुसार, 30 जून, 2026 तक राष्ट्रीय कार्यालय में उपलब्ध वर्तमान सदस्यता सूची के अनुसार पूर्ण राष्ट्रीय शुल्क जमा करने वाली शाखायें ही मतदान कर सकेंगी।

राष्ट्रीय शुल्क के अतिरिक्त यदि कोई बकाया है, तो उसका संपूर्ण भुगतान 13 नवम्बर, 2026 तक करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का बकाया शेष रहने की स्थिति में संबंधित शाखा चुनाव में भाग नहीं ले पायेंगी।

06) मतदान कार्यक्रम :

- | | |
|--|--------------------|
| 01. शाखा द्वारा प्रतिनिधि भेजने या बदलने की अन्तिम तिथि (धारा 21 अ) के अनुसार | : 02 नवम्बर, 2026 |
| 02. प्राथमिक निर्वाचक मण्डल की सूची का प्रकाशन | : 06 नवम्बर, 2026 |
| 03. आपत्ति संशोधन का आमंत्रण एवं दाखिलाकरण की अन्तिम तिथि | : 13 नवम्बर, 2026 |
| 04. निर्वाचक मण्डल की अन्तिम सूची का प्रकाशन | : 17 नवम्बर, 2026 |
| 05. नामांकन पत्र दाखिलाकरण की अन्तिम तिथि | : 17 नवम्बर, 2026 |
| 06. प्राप्त नामांकन पत्र की प्रारम्भिक जाँच | : 19 नवम्बर, 2026 |
| 07. उम्मीदवार का सहमति पत्र दाखिलाकरण की अन्तिम तिथि | : 25 नवम्बर, 2026 |
| 08. नामांकन पत्र की अन्तिम जाँच | : 28 नवम्बर, 2026 |
| 09. नामांकन पत्र की वापसी की अन्तिम तिथि | : 30 नवम्बर, 2026 |
| 10. उम्मीदवारों की अन्तिम सूची का प्रकाशन | : 02 दिसम्बर, 2026 |
| 11. राष्ट्रीय सभा सदस्यों की संवैधानिक बैठक जरूरत होने पर धारा (23-इ) के तहत (राष्ट्रीय सभा की समाप्ति के तुरन्त पश्चात) | : 17 दिसम्बर, 2026 |
| 12. मतदान तिथि का निर्धारण (आवश्यकता होने पर) | : 17 दिसम्बर, 2026 |
| 13. नतीजे की घोषणा | : 17 दिसम्बर, 2026 |

07) मतदान प्रणाली : मतदान की अवस्था में गुप्त मतदान प्रणाली लागू होगी।

08) मतदान पहचान : मतदान की स्थिति में मतदाताओं को पहचान के रूप में निम्न में से एक दस्तावेज की मूल प्रति (original copy) अपने साथ लाना अनिवार्य है :

- (क) माध्यमिक परीक्षा के अवसर पर बोर्ड के द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र (Admit Card) या बोर्ड द्वारा जारी उत्तीर्ण Certificate।
- (ख) पास-पोर्ट।
- (ग) ड्राइविंग लाइसेंस।
- (घ) मतदान पहचान पत्र।
- (ङ) आधार कार्ड।

09) चुनाव विवाद : चुनाव सम्बंधी किसी भी विवाद में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

10) चुनाव उपसमिति : चुनाव अधिकारी को सहयोग देने हेतु चुनाव उप-समिति का गठन यथासमय कर, इसकी सूचना दे दी जायेगी।

परिशिष्ट – ख

- जिला प्रांत शाखा का नाम
- (1) 2026-27 के शाखा चुनाव सम्पादन की तिथि
- (2) 2026-27 के शाखा पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण करने की तिथि
- (3) (क) शाखा अध्यक्ष का नाम
- पता
- मोबाइल नं. ई-मेल पता
- (ख) शाखा सचिव का नाम
- पता
- मोबाइल नं. ई-मेल पता
- (4) 1) शाखा के साधारण सदस्यों की कुल संख्या
- 2) राष्ट्रीय शुल्क का प्रेषण रुपये दिनांक बैंक

परिशिष्ट – ग

16वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु होने जा रहे चुनाव हेतु नामांकन-पत्र

मारवाड़ी युवा मंच शाखा की कार्यकारिणी समिति की दिनांक
को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव चुनाव अधिकारी के सूचनार्थ निम्नरूपेण प्रेषित किया जाता है :-

“अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु मारवाड़ी युवा मंच
शाखा श्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम) जो कि
शाखा के सदस्य है, की उम्मीदवारी प्रस्तावित करती है।”

हस्ताक्षर अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष

शाखा की मोहर

मारवाड़ी युवा मंच शाखा

परिशिष्ट – घ

16वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद हेतु होने जा रहे चुनाव हेतु नामांकन-पत्र

मारवाड़ी युवा मंच शाखा की कार्यकारिणी समिति
की दिनांक को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव चुनाव अधिकारी की सूचनार्थ निम्नरूपेण प्रेषित किया
जाता है :-

“अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्षेत्र
पद हेतु मारवाड़ी युवा मंच शाखा श्री/श्रीमती
..... (उम्मीदवार का नाम) जो कि
..... शाखा के सदस्य है, की उम्मीदवारी प्रस्तावित करती है।”

हस्ताक्षर अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष

शाखा की मोहर

मारवाड़ी युवा मंच शाखा

सेवा में

प्रेषक:
राष्ट्रीय कार्यालय
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच
3432/13, हसन बिल्डिंग, द्वितीय तल,
निकल्सन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110006

Printed & Published by Shri Nikunj Gupta on behalf of All India Marwari Yuva Manch, Printed at Pushpak Press Pvt. Ltd., 203-204 DSIDC Sheds, Okhla Industrial Area, Phase- 1, New Delhi-110020, and Published from 3432 / 13, Hasan Building, Nicholson Road, Kashmere Gate, Delhi - 110006, Ph. 011-45627626, 9211116264, Editor : Pawan Gupta

Editorial Board: Editor: Pawan Gupta; Managing Editor: Pankaj Bardia

वर्ष 34, अंक 219, पृष्ठ 08, 19-20 अक्टूबर 2026

